III. निवारक कार्रवाई

1. सार्वजनिक प्रापण में ईमानदारी

सार्वजनिक प्रापण एक ऐसी गतिविधि है जिसमें भ्रष्टाचार की अत्यधिक संभावना होती है तथा इसलिए यह आयोग के लिए प्राथमिक चिन्ता का विषय है । सार्वजनिक प्रापण में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा ईमानदारी बनाए रखने के क्रम में आयोग संगठनों को दिशानिर्देश जारी करता है । जनवरी 2010 में, आयोग ने निम्निलिखित परिपत्र/दिशानिर्देश जारी किए हैं:

i) आयोग ने दिनांक 28.01.2010 के अपने कार्यालय आदेश सं0 03/01/10 द्वारा शिकायतों पर सलाह के लिए तथा द्वितीय चरण सलाह मामलों में सलाह के लिए आयोग को संदर्भ भेजने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए ।

ii) आयोग ने दिनांक 20.01.2010 के अपने कार्यालय आदेश सं0 01/01/10 द्वारा एल 1 के साथ बातचीत की निविदा प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश जारी किए ।

2. संगठनों में भेद्यताओं, नीतियों तथा ऐसी प्रक्रियाएं एवं प्रणालियां जो भ्रष्टाचार का खतरा उत्पन्न करती हैं, के बारे में संगठनों को सतर्क करने के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर परामर्श जारी किए गए हैं ।

i) आयोग ने सलाह दी कि दूरभाष की क्लोनिंग कर्मचारियों की मिलीभगत तथा सहमति के परिणामस्वरूप नहीं हुई थी अपितु, कुछ प्रक्रियात्मक त्रुटियों तथा तकनीकी समस्याओं के कारण हुई थी जो स्थानीय स्तर पर प्रणाली के कमजोर प्रबंधन को गंभीरता से दर्शाता है तथा इस संबंध में तत्काल प्रणाली सुधार उपाय किए जाने आवश्यक हैं ताकि ऐसी त्रुटियां घटित न हों ।

संख्या-009/वी.जी.एल/056
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
*****

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 28.01.2010

कार्यालय आदेश सं-03/01/10

विषय: शिकायतों तथा द्वितीय चरण सलाह मामलों पर सलाह के लिए आयोग को संदर्भ भेजने के संबंध में स्पष्टीकरण ।

संदर्भ: (i) आयोग के दिनांक 23.09.2003 तथा 01.04.2004 के परिपत्र सं0 002/वी.जी.एल/61
(ii) आयोग का दिनांक 03.08.2001 का परिपत्र सं0 000/वी.जी.एल/187

1. **शिकायतें:**

आयोग द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी को अन्वेषण करने तथा रिपोर्ट दिए जाने के लिए भेजी गई शिकायत के मामले में, यदि अन्वेषण के बाद यह पाया जाता है कि मामले में सम्मिलित कर्मचारी केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अधिकारिता में नहीं आते हैं तो मामले को आयोग को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है तथा इस पर मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है । तथापि, केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा संदर्भित शिकायत पर मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना अनुपालन का निरीक्षण करने के उद्देश्य हेतु आयोग को दी जाए ।

उपर्युक्त प्रबन्ध जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों तथा जो अन्वेषण किए जाने तथा रिपोर्ट दिए जाने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजी जाती है उन पर लागू नहीं होता । दूसरे शब्दों में, जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण के अंतर्गत आने वाली सभी शिकायतें अन्वेषण किए जाने तथा रिपोर्ट दिए जाने के लिए आयोग द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी को संदर्भित की जाती है तथा इन्हें आयोग को सलाह के लिए संदर्भित करना आवश्यक है ।

2. **सतर्कता मामले:**

मिश्रित मामलों के संबंध में जहां आयोग ने मामले में शामिल सभी वर्ग के अधिकारियों के लिए अपनी प्रथम चरण की सलाह दी थी वहां आयोग से द्वितीय चरण की सलाह केवल उन अधिकारियों के मामले में लेनी चाहिए जो आयोग की अधिकारिता में आते हैं । आयोग की अधिकारिता में नहीं आने वाले अधिकारियों के संबंध में, मुख्य सतर्कता अधिकारी के स्तर पर मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए, तथा इसे आयोग को द्वितीय चरण की सलाह के लिए तभी संदर्भित करना चाहिए जब अनुशासनिक प्राधिकारी की राय आयोग

की सलाह से भिन्न हो । यह प्रक्रिया केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण किए गए मामलों में भी लागू होगी जिनमें ऐसे अधिकारी शामिल हैं जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अधिकारिता में नहीं आते हैं जिनमें आयोग ने अपनी सलाह दी थी (ऐसे मामले जहां केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा अनुशासनिक प्राधिकारी के मध्य मतभेद था तथा जिनको सलाह के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को संदर्भित किया गया था)।

ह0/-
(विनीत माथुर)
निदेशक

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।
2. सभी संघ शासित राज्यों के मुख्य सचिव ।
3. केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कं0/स्वायत्तसाशी निकायों/समितियों के सभी अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक ।
4. मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कं0/स्वायत्तसाशी निकायों/ समितियों के मुख्य सतर्कता अधिकारी ।

संख्या-005/सी.आर.डी/012
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
*****

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 20.01.2010

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।
(ii) सभी संघ शासित राज्यों के मुख्य सचिव ।
(iii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
(iv) अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग
(v) सभी सार्वजनिक उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कं0/स्वायत्त निकायों/समितियों के मुख्य कार्यकारी ।
(vi) मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कं0/स्वायत्त संगठनों/समितियों के मुख्य सतर्कता अधिकारी ।
(vii) राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय ।

परिपत्र सं-01/01/10

"**निविदा प्रक्रिया-एल 1 के साथ बातचीत**" के मुद्दे पर आयोग के दिनांक 03.03.2007 के परिपत्र सं0 4/3/07 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

उक्त परिपत्र में, अन्य बातों के साथ, यह कहा गया है कि "चूंकि पश्च निविदा बातचीत प्राय: भ्रष्टाचार का स्रोत बन सकता है, अत: यह निदेश दिया जाता है कि कुछ अपवाद परिस्थितियों को छोड़कर एल 1 के साथ कोई पश्च निविदा बातचीत नहीं होनी चाहिए" । आयोग के ध्यान में यह आया है कि इसका अर्थ यह लगाया गया है कि केवल एल-1 के साथ पश्च निविदा बातचीत पर ही रोक है तथा एल 1 को छोड़कर एल 2, एल 3 आदि के साथ पश्च निविदा बातचीत की जा सकती है । यह सही नहीं है ।

सभी संबंधितों को यह स्पष्ट किया जाता है कि - सामान्यत: कोई पश्च निविदा बातचीत नहीं होनी चाहिए । यदि अपवाद परिस्थितियों के अंतर्गत किसी तरह की बातचीत आवश्यक ही है, तब यह केवल एल 1 (न्यूनतम निविदादाता) के साथ की जा सकती है, यदि निविदा ऐसे कार्य/आपूर्ति आदेश आदि प्रदान करने के संबंध में है जहां सरकार अथवा सरकारी कंपनी को भुगतान करना है ।

तथापि, यदि निविदा सरकार अथवा सरकारी कंपनी द्वारा माल की बिक्री के लिए है तो पश्च निविदा बातचीत, यदि आवश्यक है तो एच 1 (अर्थात उच्चतम निविदादाता) को छोड़कर किसी ओर के साथ नहीं होनी चाहिए ।

2. दिनांक 3.3.2007 के परिपत्र में दिए गए अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे ।

3. ये अनुदेश आयोग के अनुमोदन से जारी किए जा रहे हैं तथा तत्काल अनुपालन के लिए इन्हें नोट किया जाए ।

ह0/-
(वी. रामाचन्द्रन)
मुख्य तकनीकी परीक्षक